कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 455 / 12-1 :देहरादूनःदिनांकः 6/9/ ~~अगस्त~~, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत मॉसी में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु 0.962 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उच्च शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No-FP/UK/OTHER/21482/2016)

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/32/2020/एफ0सी0/1757 दिनॉक 17.11.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 421/12–1(2) दिनांक 17.08.2023(**प्रति संलग्न**) के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, (**प्रति संलग्न**) जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं होती है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1924 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव/CA rate for 1.924 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू **784977.00 (सात लाख चौरासी हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र)** की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न हैएवं उक्त सम्बन्ध में वचनबद्धता संलग्न किया गया है।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित सी0ए0 से सम्बन्धित डिजिटल मानचित्र व वृक्षारोपण योजना संलग्न कर दी गयी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की

	लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03. 10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05. 02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.962 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5(क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि रू **967012.00 (नौ लाख सड़सठ हजार बारह मात्र)** की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है एवं चालान की प्रति संलग्न की गयी है।
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–5(ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 157 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 157 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा एवं पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, सम्बन्धित बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11. 2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से कुल रू0 **1751989.00** की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है एवं चालान की प्रति संलग्न की गयी है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा

	जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
12	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण,	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त में से किसी भी शर्त

	वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
22	अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 455 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,